बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर के रामाशीष चौक से संचालित होने वाले बसों से निजी व्यक्तियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। एक ही परमिट पर कई बसों का संचालन भी किया जा रहा है। एक ही परमिट पर कई बसों के संचालन से सरकारी राजस्व को भारी क्षति हो रही है। अवैध वसूली के क्रम में कई बार बस स्टैंड पर मारपीट तथा खून-खराबा होता रहता है, उक्त स्थान पर अपराधी तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है जिसका शिकार वहां के निर्दोष यात्रियों को होना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन के कुछ पदाधिकारियों की मिलीभगत एवं संरक्षण से अवैध वसूली करने वालों का मनोबल बढ़ा हुआ है जिससे वहां की आम जनता में काफी रोष एवं क्षोभ है।

अत: सरकार से वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर के रामाशीष चौक से संचालित होनेवाले बस स्टैण्ड को अपने अधीन लेते हुए सरकारी कर्मी द्वारा राजस्व की वसूली के साथ ही यात्रियों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था कराने तथा संलिप्त पदाधिकारियों के खिलाफ जांचोपरांत कार्रवाई करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुबोध कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 151/2017– 580 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ परिवहन विभाग, बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत राज्य के सांसदों (राज्यसभा एवं लोकसभा) ने वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 तक बहुप्रचारित योजना के तहत गांव को गोद लिया जिसमें गांव की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शैक्षणिक विकास, बैंकिंग व्यवस्था को मॉडल के रूप में बनाने की कार्य-योजना बनायी गयी थी। इस योजना की दो वर्ष की अवधि बीत गयी है। इन ग्रामों के विकास की उपलब्धि की जानकारी नहीं मिल सकी है।

अत: सांसदों द्वारा अनुमोदित आदर्श ग्राम के विकास कार्यों का मुद्दा वार विस्तृत प्रतिवेदन एवं खर्च की गयी राशि के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नीरज कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 120/2017– 560 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 25.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में गृह विज्ञान विभाग में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन की सुविधा प्रदान करने के लिए छात्राओं एवं अभिभावकों द्वारा हमेशा विश्वविद्यालय पर जोर दिया जाता रहा है। विश्वविद्यालय मुख्यालय में आठ अंगीभूत एवं 24 सम्बद्ध महाविद्यालय हैं जिनमें 3 अंगीभूत महाविद्यालयों तथा प्राय: सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में गृह विज्ञान विषय में स्नातक स्तर की पढ़ाई होती है। पूर्व में उक्त विभाग से स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती थी परन्तु राज्य सरकार से प्राप्त सं.- 15/एम-1-62/2000- 1603/उ.शि., दिनांक- 19.10.2000 के आलोक में सरकार से पूर्वानुमति नहीं रहने के कारण स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई को बंद कर दिया गया। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यथा पर्याप्त संख्या में पुस्तकें, प्रयोगशाला उपकरण, भवन आदि साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभाग के संचालन हेतु राशि भी स्वीकृत किया जाता है।

अत: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में गृह विज्ञान विभाग विषय में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पुन: शुरू करने के लिए स्थायी संबंध की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 148/2017– 581 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्वमंत्री स्व. मुंगेरी लाल, पटना के कुर्जी मुहल्ले/ गांव में पैदा हुए थे। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और जीवन भर उन्होंने गांधी जी के विचारों का प्रचार-प्रसार किया। वे एक प्रखर राजनेता और समर्पित समाजसेवी थे। बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए गठित आयोग के वे प्रथम अध्यक्ष थे, जिसे मुंगेरीलाल आयोग के रूप में जाना जाता है।

अत: ऐसे महापुरुष की स्मृति के अक्षुण्ण रखने के लिए कुर्जी (पटना) में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने हेतु मैं सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रामवचन राय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 122/2017– 561 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ भवन निर्माण विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मुजफ्फरपुर पश्चिम के अनुमंडलाधिकारी (गोपनीय प्रशाखा) ने कार्यालय पत्रांक-164, दिनांक- 09.02.2017 के द्वारा श्रीमती नीता पाण्डेय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मुजफ्फरपुर की मनमानी, स्वेच्छाचारिता और नियम के विरूद्ध कृत्यों की जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को दिया गया है। प्रतिवेदन में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के विरूद्ध शिक्षकों के वेतन निर्धारण, सेवापुस्ति सत्यापन में अनियमितता दर्शाया गया है। बोचहां एवं मीनापुर प्रखंडों में फर्जी शिक्षकों को जानबूझकर वेतन भुगतान कराने के संबंध में दोषी पाया गया है तथा अन्य कई गंभीर मामले में इनकी संलिप्तता पायी गई है। किन्तु अभी तक जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से लोग क्षुब्ध हैं।

अतः मैं सरकार से जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सौंपे गए प्रतिवेदन के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) एवं अन्य पर तवरित कार्रवाई करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नवल किशोर यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 125/2017– 551 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल में वर्ष 2000 से ही शिक्षकों एवं विभिन्न आधारभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है। भारतीय दन्त परिषद् के विभिन्न निरीक्षण प्रतिवेदनों में इनका विस्तार से उल्लेख किया गया है। बिहार सरकार द्वारा इन्हें दूर नहीं किए जाने के कारण भारत सरकार ने पटना दन्त माविद्यालय एवं अस्पताल में अकादमिक वर्ष 2010-11 एवं 2015-16 में बी.डी.एस. में नामांकन की स्वीकृति देने से मना कर दिया। वर्ष 2016-17 में इस शर्त के साथ नामांकन की अनुमति सिर्फ एक वर्ष के लिए प्रदान की गई की सत्र की शुरूआत के पूर्व अथवा दिनांक-16.08.2016 तक भारतीय दन्त परिषद् के द्वारा बतायी गई कमियों को राज्य सरकार दूर कर लेगी। किन्तु अभी भी पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल में प्राचार्य एवं शिक्षकों की कमी सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है।

अत: मैं दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल में भारतीय दन्त परिषद् के द्वारा बतायी गई कमियों को दूर करने के संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप कुमार जायसवाल,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 123/2017– 562 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

24/03/17

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा ग्रामीण सड़क एवं अन्य योजनाओं हेतु अनुशंसा ली जाती है, जबकि बिहार विधान परिषद् के सदस्यों को इससे वंचित रखा गया है।

अतः मैं सरकार से विधान सभा के सदस्यों के अनुरूप विधान परिषद् के सदस्यों को भी ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुशंसा प्राप्त किए जाने के विषय पर सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुबोध कुमार, स. वि. प.
ह./- रणवीर नंदन, स.वि.प.
ह./- नीरज कुमार, स.वि.प.
ह./- मनोज यादव, स.वि.प.
ह./- सी.पी. सिन्हा, स.वि.प.
ह./- रीना देवी, स.वि.प.
ह./- दिलीप कुमार चौधरी, स.वि.प.
ह./- सतीश कुमार, स.वि.प.
ह./- रामचन्द्र भारती, स.वि.प.
ह./- मो. गुलाम रसूल, स.वि.प. एवं
ह./- राजकिशोर सिंह कुशवाहा, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 124/2017 - 552 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

24/3/17

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार सरकार ने वर्ष 2016-17 में 4 लाख रू. प्रति विद्यार्थी की दर से 5 लाख छात्र-छात्राओं को बैंक से ऋण दिलाने का लक्ष्य रखा है किन्तु अभी तक एक हजार छात्र-छात्राओं को भी ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत निर्धारित अवधि में लक्ष्य के अनुरूप सभी छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- लालबाबू प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 126/2017– 550 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।